

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा ( जिला दौसा )

पीठासीन अधिकारी का नाम : मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या : 26 / 2023  
दायर दिनांक : 20.06.2023  
निर्णय दिनांक : 20.06.2024

1. हनुमानदास चेला महादेवदास दादूपंथी, निवासी बाबाजी की छावनी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
2. हरदयालदास दत्तक पुत्र रामदयालदास दादूपंथी, निवासी बाबाजी की छावनी दौसा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण दौसा तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं। दौसा कलां, पटवारी हल्का दौसा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौसा, तहसील दौसा, जिला दौसा में कृषि भूमि नया खाता संख्या 660 पुराना खाता संख्या 737 के आराजी खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है. गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है., कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है. स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी हैं। इस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूर्व में दिनांक 27.06.2022 को कराया जा चुका है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि व उसकी फसल की सुरक्षा रहे एवं किसी प्रकार का सीमा विवाद नहीं हो इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि पर पत्थरगढी व तारबन्दी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की कृषि भूमि नया खाता संख्या 660 पुराना खाता संख्या 737 के आराजी खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है. गै.मु. चाह, खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है., कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है. स्थित वाके दौसा कलां, पटवार हल्का दौसा कलां, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दौसा, तहसील दौसा जिला दौसा का मय पुलिस इमदाद सीमाज्ञान कर पत्थरगढी व तारबन्दी किये जाने के आदेश फरमाये जाने की प्रतीक्षा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि भूमि खसरा नम्बर 2521, 2522 किता 2 रकबा 2.50 है. मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हनुमानदास चेला महादेवदास दादूपंथी हिस्सा 1/2 जाति स्वामी राहिन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा दौसा (राज.) हरदयालदास दत्तक पुत्र मु. रामदयालदास दादूपंथी हिस्सा 1/2 जाति स्वामी राहिन




आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा दौसा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। पूर्व में राजस्व दल द्वारा प्रश्नगत आराजी का सीमाज्ञान भी किया जा चुका है। प्रश्नगत आराजी पर वर्तमान में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान किया जा चुका है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। पडौसी खातेदारों को सुना जाकर पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित होगा। चूंकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है एवं प्रश्नगत आराजी पर किसी भी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम दौसा कलां तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2521 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 2522 रकबा 2.49 है., कुल किता 2 कुल रकबा 2.50 है. का अनुभवी पटवारियों/भू-अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्च पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ले की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।



  
( मनीष कुमार जाटव )  
उपखण्ड अधिकारी, दौसा  
उपखण्ड अधिकारी  
दौसा (राज.)